

राजस्थानसरकार
निदेशालय कोष एवंलेखाराजस्थानजयपुर
"वित्तभवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ईमेल:jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./अलेसे-III/6240

दिनांक :- 19-11-2020

आदेश संख्या:- 216/2020-21

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), रानीरोड़ उदयपुर-313001 में दिनांक 23.11.2020 से 15.01.2021 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के आठ सप्ताह के ऑनलाइन संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 23.11.2020 को प्रातः 09:30 बजे से ऑनलाइन संस्थानिक प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु मनोनीत किया जाता है:-

क्र.सं.	मेरिटनं.	लिंकनं.	नाम	वर्तमानकार्यालय कानाम	मोबाईलनं.	ईमेल पता
1	575	9957	राकेश कुमार सुथार	सी.डी.पी.ओ. समेकित बाल विकास सेवायें रावतसर जिला हनुमानगढ़	7891774460	rks.mayal@gmail.com
2	1237	10511	उन्नति जैन	महानिरीक्षक रेंज (पुलिस) गृह विभाग, उदयपुर।	9784366166	kavitachirag@gmail.com
3	1241	43385	रामदेव	राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर	9460147991	ramdev.pharma@gmail.com
4	1917	11827	प्रियंका पाटीदार	अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधानी निधि, उदयपुर।	9928105306	
5	2201	10112	कोमल सिंह मीणा	प्रभारी, भौतिक सत्यापन दल, निरीक्षण विभाग, अजमेर।	9414762522	komalmeena22@ymail.com
6	2727	10157	जयनारायण मीणा	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर	8952048504	meenajai93@gmail.com
7	3340	10378	गणेश लाल पारगी	प्रधानचार्य डॉ. अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, खोड़न, बासवाड़ा।	7742061029	
8	3370	11723	नूतन मदरेचा	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र एसएसए, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (एक्स कैडर) राजसमन्द जिला राजसमन्द	7742154924	jain.muskaan1111@gmail.com
9	3421	10374	महेश कुमार निनामा	तहसीलदार, राजस्व विभाग छोटी सरवन जिला बांसवाड़ा	8094277728	
10	3442		कमला शर्मा	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झाड़ोल, उदयपुर	8107682911	deepak.idana@gmail.com
11	3478		सुमित्रा देवी	कोष कार्यालय, कोष एवं लेखा विभाग, श्रीगंगानगर	9461000245	
12	3617	12019	कालू राम रोट	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) आसपुर, डुंगरपुर।	9636360667	
13	3629		मयूर कुमार अहारी	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, डुंगरपुर	9001180992	mayur007p@hotmail.com

14	1293 C		करन लामरोड	कोष कार्यालय, कोष एवं लेखा विभाग, जालौर	9782647617	
15	1296 C	43388	पृथ्वी सिंह राजपूत	कोष कार्यालय, कोष एवं लेखा विभाग, उदयपुर ग्रामीण उदयपुर	9950645485	
16	3241 A	33359	प्रशान्त तिवारी	कोष कार्यालय, कोष एवं लेखा विभाग, उदयपुर	9887521715	
17	3241 C	33361	प्रेमराज	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, सिरौही	9783426453	
18	3246 A	33360	प्रदीप कुमार	कोष कार्यालय, कोष एवं लेखा विभाग, बाड़मेर	8963020992	
19	3265 A	12104	प्रमोद कुमार मीणा	बाल विकास परियोजना अधिकारी कोटडा जिला उदयपुर	9929067534	
20	2173 A	43394	रेखा मंगलानी	जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय, उदयपुर	9660606969	
21	3241 B	43397	दुष्यन्त सिंह जुगतावत	उप कोषाधिकारी (स्वतन्त्र), पचपदरा, बाड़मेर	9950826551	
22	3479 A	43393	अदिति सोनगरा	कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बीकानेर	9782431552	

उक्त प्रशिक्षण की अवधि आठ सप्ताह (सात सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह परीक्षा कार्यक्रम) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम-1963 के नियम 32 (2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा। प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

यदि किसी कार्मिक ने कनिष्ठ लेखाकार पद का संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त कर लिया है तो उसे पुनः प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जावे। यदि किसी कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे परिवर्तित कार्यालय (वास्तविक रूप से कार्यरत कार्यालय) के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा।


 (सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
 निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यकत कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक, ह.च.मा राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, हरि चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), रानीरोड़ उदयपुर-313001 को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
..... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
यदि संबंधित कार्मिक वर्तमान में आपके कार्यालय में पदस्थापित नहीं है, तो कार्मिक के नवीन पदस्थापन स्थान पर भी सूचना भिजवाते हुए निदेशालय को भी अवगत कराने का श्रम करें।
5. समस्त कोषाधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि आपके जिले के अधीनस्थ कार्यालयों में यदि किसी कार्मिक ने 08 सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, तो उसकी सूचना निदेशालय को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।
6. संबंधित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त ऑनलाइन संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर ज्वाइन कर ज्वाइनिंग की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं यदि संबंधित कार्मिक के मोबाईल नं0 एवं ई-मेल पते में परिवर्तन या ई-मेल पता नहीं होने की स्थिति में संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र में सम्पर्क करें।
7. समस्त कनिष्ठ लेखाकारों को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश के पश्चात् भी यदि किसी कार्मिक ने आदिनांक तक 08 सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, तो इसकी सूचना तत्काल निदेशालय को प्रेषित करें।
8. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
9. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)
10. रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्तनिदेशक (कार्मिक-III)